

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश
संख्या :- पीसीएच कु0 -निर्वाचन 2025- 2611-2865 दिनांक 07/04/26

अधिसूचना

यह कि पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या-पीसीएच-एचए(1)18/2008 III-23211-22 दिनांक 07-04-2026 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों की अनुपालना में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच कु0-निर्वाचन 2025-912-1157 दिनांक 05.04.2026 को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 में दिए गए दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 78 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में अंकित प्रावधानों के अनुसार **अध्यक्ष पंचायत समिति, जिला कुल्लू के पदों का आरक्षण किया जाना है।**

अतः मैं अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0) उपायुक्त, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 78 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु **अध्यक्ष पंचायत समिति, जिला कुल्लू के पदों का आरक्षण निम्न विवरणानुसार अधिसूचित करता हूँ :**

क0	जिला का नाम	पंचायत समिति का नाम	आरक्षण 2026
1	कुल्लू	आनी	अनारक्षित
2		निरमण्ड	अ0जा0 महिला
3		भुंतर	अ0जा0
4		बंजार	महिला
5		कुल्लू	महिला
6		नगर	अनारक्षित



अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0)
उपायुक्त जिला कुल्लू हि0 प्र0।

पृष्ठंकन संख्या- यथोपरी 2611-2865
प्रतिलिपि:-

दिनांक 07/04/26

- निदेशक पंचायती राज विभाग हि0 प्र0 शिमला-9 को उनके कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0 प्र0 शिमला को सूचनार्थ।

3. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0), जिला कुल्लू हि0प्र0 को सूचनार्थ ।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला -5 को राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशन हेतू ।
5. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू हि0प्र0 को सूचनार्थ ।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कुल्लू को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार हेतू।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जिला कुल्लू को उक्त सूचना की तीन अतिरिक्त प्रतियां इस निर्देश सहित प्रेषित है कि इनमें से एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय तथा एक प्रति कार्यालय सूचना पट्ट पर जन साधारण की जानकारी हेतू चस्पान करवाना सुनिश्चित करें ।
8. समस्त ग्राम पंचायत, जिला कुल्लू को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से तीन-2 अतिरिक्त प्रतियों सहित पंचायत रिकॉर्ड एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पान हेतू।
9. गार्ड पत्रावली ।


उपायुक्त

जिला कुल्लू हि0 प्र0 ।

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश

संख्या :- पीसीएच कु0 -निर्वाचन 2025- 2461-2510 दिनांक 07/04/26

अधिसूचना

यह कि पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या-पीसीएच-एचए(1)18/2008 III-23211-22 दिनांक 07-04-2026 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों की अनुपालना में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच कु0-निर्वाचन 2025-1217-75 दिनांक 05.04.2026 को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 में दिए गए दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 78 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में अंकित प्रावधानों के अनुसार पंचायत समिति आनी के सदस्य पदों का आरक्षण किया जाना है।

अतः मैं अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0) उपायुक्त, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 78 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु पंचायत समिति आनी के सदस्य पदों का आरक्षण निम्न विवरणानुसार अधिसूचित करता हूँ :-

क0 स0	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति वार्ड का नाम	आरक्षण 2026
1	आनी	1-लझेरी	अनारक्षित
2		3-बुच्छैर	अनारक्षित
3		6-जावन	अनारक्षित
4		8-दलाश	अनारक्षित
5		10-आनी	अनारक्षित
6		9-डींगीधार	अ0जा0 महिला
7		4-देउठी	अ0जा0 महिला
8		14-टकरासी	अ0जा0 महिला
9		7-कुटेड़	अ0जा0
10		12-रोपा	अ0जा0
11		13-मुहान	महिला
12		5-बखनाओं	महिला



13		11-कराणा	महिला
14		15-लगौटी	महिला
15		2-वटाला	महिला

Chanda

अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0)
उपायुक्त जिला कुल्लू हि0 प्र0।

दिनांक 07/04/26.

पृष्ठांकन संख्या- यथोपरी 2461-2510
प्रतिलिपि:-

1. निदेशक पंचायती राज विभाग हि0 प्र0 शिमला-9 को उनके कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0 प्र0 शिमला को सूचनार्थ।
3. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला -5 को राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशन हेतू।
5. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कुल्लू को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार हेतू।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू को उक्त सूचना की तीन अतिरिक्त प्रतियां इस निर्देश सहित प्रेषित है कि इनमें से एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय तथा एक प्रति कार्यालय सूचना पट पर जन साधारण की जानकारी हेतू चस्पान करवाना सुनिश्चित करें।
8. समस्त ग्राम पंचायत विकास खण्ड आनी जिला कुल्लू को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से तीन-2 अतिरिक्त प्रतियों सहित पंचायत रिकॉर्ड एवं कार्यालय सूचना पट पर चस्पान हेतू।
9. गार्ड पत्रावली।

Chanda

उपायुक्त
जिला कुल्लू हि0 प्र0।

अधिसूचना

यह कि पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या-पीसीएच-एचए(1)18/2008 III-23211-22 दिनांक 07-04-2026 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों की अनुपालना में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच कु0-निर्वाचन 2025-1276-1334 दिनांक 05.04.2026 को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 में दिए गए दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 78 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में अंकित प्रावधानों के अनुसार पंचायत समिति बंजार के सदस्य पदों का आरक्षण किया जाना है।

अतः मैं अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0) उपायुक्त जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 78 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु पंचायत समिति बंजार के सदस्य पदों का आरक्षण निम्न विवरणानुसार अधिसूचित करता हूँ :-

क0	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति वार्ड का नाम	आरक्षण 2026
1	बंजार	10-तुंग	अनारक्षित
2		3-धाउगी	अनारक्षित
3		4-चकुरठा	अनारक्षित
4		11-बिहार	अनारक्षित
5		15-सराज	अनारक्षित
6		1-देउरीधार	अ0जा0 महिला
7		7-मंगलौर	अ0जा0 महिला
8		6-चनौन	अ0जा0
9		5-गोपालपुर	अ0जा0
10		13-बलागाड़	महिला
11		12-तांदी	महिला
12		8-कलवारी	महिला



13	14-खाबल	महिला
14	2-सुचैहण	महिला
15	9-शिल्ली	महिला

Chand

अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0)
उपायुक्त जिला कुल्लू हि0 प्र0।

दिनांक 07/04/26 .

पृष्ठांकन संख्या- यथोपरी 2411-60
प्रतिलिपि:-

1. निदेशक पंचायती राज विभाग हि0 प्र0 शिमला-9 को उनके कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0 प्र0 शिमला को सूचनार्थ।
3. उप-मण्डलाधिकारी (ना0) बंजार, जिला कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला -5 को राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशन हेतु।
5. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कुल्लू को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार हेतु।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू को उक्त सूचना की तीन अतिरिक्त प्रतियां इस निर्देश सहित प्रेषित है कि इनमें से एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय तथा एक प्रति कार्यालय सूचना पट्ट पर जन साधारण की जानकारी हेतु चस्पान करवाना सुनिश्चित करें।
8. समस्त ग्राम पंचायत विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से तीन-2 अतिरिक्त प्रतियों सहित पंचायत रिकॉर्ड एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पान हेतु।
9. गार्ड पत्रावली।

Chand

उपायुक्त
जिला कुल्लू हि0 प्र0।

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश
संख्या :- पीसीएच कु0 -निर्वाचन 2025- 2361-2210 दिनांक 07/04/26

अधिसूचना

यह कि पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या-पीसीएच-एचए(1)18/2008 III-23211-22 दिनांक 07-04-2026 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों की अनुपालना में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच कु0-निर्वाचन 2025-1394-1452 दिनांक 05.04.2026 को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 में दिए गए दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 78 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में अंकित प्रावधानों के अनुसार पंचायत समिति भुंतर के सदस्य पदों का आरक्षण किया जाना है।

अतः मैं अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0) उपायुक्त, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 78 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु पंचायत समिति भुंतर के सदस्य पदों का आरक्षण निम्न विवरणानुसार अधिसूचित करता हूँ :-

क्र0	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति वार्ड का नाम	आरक्षण 2026
1	भुन्तर	20-रोट	अनारक्षित
2		8-चौंग	अनारक्षित
3		3-कसोल	अनारक्षित
4		4-पुन्थल	अनारक्षित
5		15-ज्येष्ठा	अनारक्षित
6		2-मणिकरण	अनारक्षित
7		19-तलाडा	अनारक्षित
8		18-देवगढगोही	अनारक्षित
9		25-शमशी	अनारक्षित
10		21-हाट	अ0जा0 महिला
11		11-बडाभुईन	अ0जा0 महिला
12		6-पीणी	अ0जा0 महिला
13		5-बराधा	अ0जा0 महिला

14		13-नरैश	अ0जा0
15		12-भुईन	अ0जा0
16		16-भलाण-1	अ0जा0
17		10-शिलीहार	महिला
18		14-मंझली	महिला
19		22-बजौरा	महिला
20		24-शुरड	महिला
21		9-दनोगी	महिला
22		1-बरशैणी	महिला
23		7-जलूग्रां	महिला
24		17-रैला	महिला
25		23-खोखन	महिला

Chand

अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0)
उपायुक्त जिला कुल्लू हि0 प्र0।

दिनांक 07/04/26

पृश्ठांकन संख्या- यथोपरी 2361-2410
प्रतिलिपि:-

1. निदेशक पंचायती राज विभाग हि0 प्र0 शिमला-9 को उनके कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0 प्र0 शिमला को सूचनार्थ।
3. उप-मण्डलाधिकारी (ना0) कुल्लू जिला कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला -5 को राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशन हेतू।
5. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू हि0प्र0 को सूचनार्थ।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कुल्लू को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार हेतू।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भुंतर, जिला कुल्लू को उक्त सूचना की तीन अतिरिक्त प्रतियां इस निर्देश सहित प्रेषित है कि इनमें से एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय तथा एक प्रति कार्यालय सूचना पट्ट पर जन साधारण की जानकारी हेतू चस्पान करवाना सुनिश्चित करें।
8. समस्त ग्राम पंचायत विकास खण्ड भुंतर, जिला कुल्लू को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से तीन-2 अतिरिक्त प्रतियों सहित पंचायत रिकॉर्ड एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पान हेतू।
9. गार्ड पत्रावली।

Chand

उपायुक्त
जिला कुल्लू हि0 प्र0।

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ।

संख्या :- पीसीएच कु0 -निर्वाचन 2025- 2511-60 दिनांक 07/04/26

अधिसूचना

यह कि पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या-पीसीएच-एचए(1)18/2008 III-23211-22 दिनांक 07-04-2026 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों की अनुपालना में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच कु0-निर्वाचन 2025-1453-1511 दिनांक 05.04.2026 को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 में दिए गए दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 78 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में अंकित प्रावधानों के अनुसार पंचायत समिति कुल्लू के सदस्य पदों का आरक्षण किया जाना है।

अतः मैं अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0) उपायुक्त, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 78 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु पंचायत समिति कुल्लू के सदस्य पदों का आरक्षण निम्न विवरणानुसार अधिसूचित करता हूँ :-

क्र0	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति वार्ड का नाम	आरक्षण 2026
1	कुल्लू	5-जरड़ भुट्टी कलोनी	अनारक्षित
2		7-शिलीराजगिरी	अनारक्षित
3		8-खडीहार	अनारक्षित
4		13-तिउन	अनारक्षित
5		14-डुखरी गाहर	अनारक्षित
6		15-डुगीलग	अनारक्षित
7		17-वाशिग	अनारक्षित
8		1-चतानी	अ0जा0 महिला
9		6-मौहल	अ0जा0 महिला
10		2-पुईद	अ0जा0
11		10-शिलानाल	अ0जा0
12		3-चन्सारी	महिला

13	11-भल्याणी	महिला
14	4-तलोगी	महिला
15	9-बल्ह	महिला
16	18-बन्दोल	महिला
17	12-चौपाडसा	महिला
18	16-कोठीसारी	महिला

Chand

अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0)
उपायुक्त जिला कुल्लू हि0 प्र0।

दिनांक 07/04/26

पृष्ठांकन संख्या- यथोपरी 2511-60

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक पंचायती राज विभाग हि0 प्र0 शिमला-9 को उनके कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0 प्र0 शिमला को सूचनार्थ।
3. उप-मण्डलाधिकारी (ना0) कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला -5 को राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशन हेतू।
5. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कुल्लू को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार हेतू।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू को उक्त सूचना की तीन अतिरिक्त प्रतियां इस निर्देश सहित प्रेषित है कि इनमें से एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय तथा एक प्रति कार्यालय सूचना पट्ट पर जन साधारण की जानकारी हेतू चस्पान करवाना सुनिश्चित करें।
8. समस्त ग्राम पंचायत विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से तीन-2 अतिरिक्त प्रतियों सहित पंचायत रिकॉर्ड एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पान हेतू।
9. गार्ड पत्रावली।

Chand

उपायुक्त
जिला कुल्लू हि0 प्र0।

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश
संख्या :- पीसीएच कु0 -निर्वाचन 2025-2311-2360 दिनांक 07/04/26

अधिसूचना

यह कि पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या-पीसीएच-एचए(1)18/2008 III-23211-22 दिनांक 07-04-2026 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों की अनुपालना में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच कु0-निर्वाचन 2025-1158-1216 दिनांक 05.04.2026 को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निदेशक एवं विषय सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 में दिए गए दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 78 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में अंकित प्रावधानों के अनुसार पंचायत समिति नगर के सदस्य पदों का आरक्षण किया जाना है।

अतः मैं अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0) उपायुक्त, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 78 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु पंचायत समिति नगर के सदस्य पदों का आरक्षण निम्न विवरणानुसार अधिसूचित करता हूँ :-

क0स0	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति वार्ड का नाम	आरक्षण 2026
1	नगर	16-देवगढ़	अनारक्षित
2		8-करजां	अनारक्षित
3		15-रायसन	अनारक्षित
4		7-जगतसुख	अनारक्षित
5		24-शलीन	अनारक्षित
6		1-शनाग	अनारक्षित
7		25-नसोगी	अनारक्षित
8		5-चचोगा	अनारक्षित
9		4-वशिष्ठ	अनारक्षित
10		13-कराड़सू	अ0जा0 महिला
11		14-गाहर	अ0जा0 महिला
12		10-नगर	अ0जा0 महिला

13		12-अरछण्डी	अ0जा0
14		21-हलाण 2	अ0जा0
15		22-पनगां	अ0ज0जा0 महिला
16		19-दुआड़ा	अ0ज0जा0
17		18-पिछलीहार	महिला
18		9-सरसेई	महिला
19		2-बुरुआ	महिला
20		6-प्रीणी	महिला
21		3-पलचान	महिला
22		23-ब्राण	महिला
23		17-मण्डलगाढ़	महिला
24		11-लरांकेलों	महिला
25		20-कटराई	महिला

Anand

अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0)
उपायुक्त जिला कुल्लू हि0 प्र0।

दिनांक 07/04/26

पृष्ठांकन संख्या- यथोपरी 2311-60
प्रतिलिपि:-

1. निदेशक पंचायती राज विभाग हि0 प्र0 शिमला-9 को उनके कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0 प्र0 शिमला को सूचनार्थ।
3. उप-मण्डलाधिकारी (ना0) नगर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला -5 को राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशन हेतू।
5. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कुल्लू को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार हेतू।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगर, जिला कुल्लू को उक्त सूचना की तीन अतिरिक्त प्रतियां इस निर्देश सहित प्रेषित है कि इनमें से एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय तथा एक प्रति कार्यालय सूचना पट्ट पर जन साधारण की जानकारी हेतू चस्पान करवाना सुनिश्चित करें।
8. समस्त ग्राम पंचायत विकास खण्ड नगर, जिला कुल्लू को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से तीन-2 अतिरिक्त प्रतियों सहित पंचायत रिकॉर्ड एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पान हेतू।
9. गार्ड पत्रावली।

Anand

उपायुक्त
जिला कुल्लू हि0 प्र0।

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश

संख्या :- पीसीएच कु0 -निर्वाचन 2025-2561-2610 दिनांक- 07/04/26

अधिसूचना

यह कि पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या-पीसीएच-एचए(1)18/2008 III-23211-22 दिनांक 07-04-2026 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों की अनुपालना में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच कु0-निर्वाचन 2025- 1335-1393 दिनांक 05.04.2026 को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 में दिए गए दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 78 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में अंकित प्रावधानों के अनुसार पंचायत समिति निरमण्ड के सदस्य पदों का आरक्षण किया जाना है।

अतः मैं अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0) उपायुक्त, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 78 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु पंचायत समिति निरमण्ड के सदस्य पदों का आरक्षण निम्न विवरणानुसार अधिसूचित करता हूँ :-

क0	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति वार्ड का नाम	आरक्षण 2026
1	निरमण्ड	1-चायल	अनारक्षित
2		9-कोट	अनारक्षित
3		4-बाड़ी	अनारक्षित
4		5-ब्रौ	अनारक्षित
5		7-भालसी	अ0जा0 महिला
6		3-खरगा	अ0जा0 महिला
7		14-राहणू	अ0जा0 महिला
8		8-तवार	अ0जा0 महिला
9		11-देहरा	अ0जा0
10		15-बागा सराहन	अ0जा0
11		12-दुराह	अ0जा0
12		6-बाहवा	महिला
13		2-कुशवा	महिला



14	13-घाटू	महिला
15	10-अरसु	महिला

Chand

अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0)
उपायुक्त जिला कुल्लू हि0 प्र0।

दिनांक 07/04/26.

पृष्ठांकन संख्या- यथोपरी 2561-2610
प्रतिलिपि:-

1. निदेशक पंचायती राज विभाग हि0 प्र0 शिमला-9 को उनके कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0 प्र0 शिमला को सूचनार्थ।
3. उप-मण्डलाधिकारी (ना0) निरमण्ड, जिला कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला -5 को राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशन हेतू।
5. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कुल्लू को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार हेतू।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू को उक्त सूचना की तीन अतिरिक्त प्रतियां इस निर्देश सहित प्रेषित है कि इनमें से एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय तथा एक प्रति कार्यालय सूचना पट्ट पर जन साधारण की जानकारी हेतू चस्पान करवाना सुनिश्चित करें।
8. समस्त ग्राम पंचायत विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से तीन-2 अतिरिक्त प्रतियों सहित पंचायत रिकॉर्ड एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पान हेतू।
9. गार्ड पत्रावली।

Chand

उपायुक्त
जिला कुल्लू हि0 प्र0।

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ।
संख्या :- पीसीएच कु0 -निर्वाचन 2025- 2161-2210 दिनांक - 07/04/26

अधिसूचना

यह कि पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या-पीसीएच-एचए(1)18/2008 III-23211-22 दिनांक 07-04-2026 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों की अनुपालना में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच कु0-निर्वाचन 2025-1630-88 दिनांक 05.04.2026 को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 में दिए गए दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 08 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में अंकित प्रावधानों के अनुसार विकास खण्ड आनी की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण किया जाना है।

अतः मैं अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0) उपायुक्त, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 08 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु विकास खण्ड आनी की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण निम्न विवरणानुसार अधिसूचित करता हूँ :-

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	पंचायत का नाम	आरक्षण 2026
1	आनी	कोटासेरी	अनारक्षित
2		विशलाधार	अनारक्षित
3		देउठी	अनारक्षित
4		तलूणा	अनारक्षित
5		लझेरी	अनारक्षित
6		कोहिला	अनारक्षित
7		खनाग	अनारक्षित
8		करशैईगाड	अनारक्षित
9		कराणा-1	अनारक्षित
10		कराणा	अनारक्षित
11		लफाली	अनारक्षित

12		बुच्छैर	अनारक्षित
13		कमांद	अनारक्षित
14		डींगीधार	अ0जा0 महिला
15		शिल्ही	अ0जा0 महिला
16		जावन	अ0जा0 महिला
17		टकरासी	अ0जा0 महिला
18		बैहना	अ0जा0 महिला
19		कुंगश	अ0जा0 महिला
20		विनण	अ0जा0
21		बखनाओं	अ0जा0
22		रोपा	अ0जा0
23		तांदी	अ0जा0
24		पलेही	अ0जा0
25		व्यूगल	अ0जा0
26		नम्होंग	महिला
27		मुहान	महिला
28		दलाश	महिला
29		वटाला	महिला
30		मुण्डदल	महिला
31		पोखरी	महिला
32		कराड	महिला
33		आनी	महिला
34		फनौटी	महिला
35		खणी	महिला
36		लगौटी	महिला
37		चवाई	महिला
38		कुठेड	महिला

Abands


अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0)
उपायुक्त, जिला कुल्लू हि0 प्र0।

पृष्ठंकन संख्या- यथोपरी 2161-2210
प्रतिलिपि:-

दिनांक 07/04/26

1. निदेशक पंचायती राज विभाग हि0 प्र0 शिमला-9 को उनके कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0 प्र0 शिमला को सूचनार्थ।
3. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।

4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला -5 को राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशन हेतू।
5. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू हि0प्र0 को सूचनार्थ।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कुल्लू को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार हेतू।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जिला कुल्लू को उक्त सूचना की तीन अतिरिक्त प्रतियां इस निर्देश सहित प्रेषित है कि इनमें से एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय तथा एक प्रति कार्यालय सूचना पट पर जन साधारण की जानकारी हेतू चस्पान करवाना सुनिश्चित करें।
8. समस्त ग्राम पंचायत विकास खण्ड आनी जिला कुल्लू को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से तीन-2 अतिरिक्त प्रतियों सहित पंचायत रिकॉर्ड एवं कार्यालय सूचना पट पर चस्पान हेतू।
9. गार्ड पत्रावली।



उपायुक्त

जिला कुल्लू हि0 प्र0।

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ।
संख्या :- पीसीएच कु0-निर्वाचन 2025- 2211-2260 दिनांक- 07/04/26
अधिसूचना

यह कि पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या-पीसीएच-एचए(1)18/2008 III-23211-22 दिनांक 07-04-2026 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों की अनुपालना में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच कु0-निर्वाचन 2025-1571-1629 दिनांक 05.04.2026 को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 में दिए गए दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 08 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में अंकित प्रावधानों के अनुसार विकास खण्ड बंजार की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण किया जाना है।

अतः मैं अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0) उपायुक्त, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 08 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु विकास खण्ड बंजार की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण निम्न विवरणानुसार अधिसूचित करता हूँ :-

क0	विकास खण्ड का नाम	पंचायत का नाम	आरक्षण 2026
1	बंजार	गाड़ापारली	अनारक्षित
2		शांघड़	अनारक्षित
3		धाउगी	अनारक्षित
4		चकुरठा	अनारक्षित
5		देउठा	अनारक्षित
6		बलागाड़	अनारक्षित
7		कण्डीधार	अनारक्षित
8		मशियार	अनारक्षित
9		शिल्ली	अनारक्षित
10		शरची	अनारक्षित
11		दुशाहड़	अनारक्षित
12		तांदी	अनारक्षित
13		कोटला	अनारक्षित
14		नौहाण्डा	अनारक्षित
15		सुचैहण	अनारक्षित
16		देउरीधार	अ0जा0 महिला



17		पलाहच	अ0जा0 महिला
18		जमद	अ0जा0 महिला
19		चनौन	अ0जा0 महिला
20		थाटीबीड़	अ0जा0 महिला
21		लारजी	अ0जा0 महिला
22		मंगलौर	अ0जा0
23		कनौन	अ0जा0
24		कलवारी	अ0जा0
25		तुंग	अ0जा0
26		टील	अ0जा0
27		बाहु	महिला
28		बिहार	महिला
29		खड़ागाड़	महिला
30		बनोगी	महिला
31		गोपालपुर	महिला
32		सराज	महिला
33		कोठीचैहनी	महिला
34		शैशर	महिला
35		श्रीकोट	महिला
36		मोहनी	महिला
37		सजवाड	महिला
38		शिकारीघाट	महिला
39		पेंखडी	महिला
40		खावल	महिला

Abhaya

अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0)
उपायुक्त, जिला कुल्लू हि0 प्र0।

पृष्ठंकन संख्या- यथोपरी 2211-2260 दिनांक 07/04/26
प्रतिलिपि:-

1. निदेशक पंचायती राज विभाग हि0 प्र0 शिमला-9 को उनके कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0 प्र0 शिमला को सूचनार्थ।
3. उप-मण्डलाधिकारी (ना0) बंजार, जिला कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला -5 को राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशन हेतू।
5. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कुल्लू को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार हेतू।

7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू को उक्त सूचना की तीन अतिरिक्त प्रतियां इस निर्देश सहित प्रेषित है कि इनमें से एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय तथा एक प्रति कार्यालय सूचना पट्ट पर जन साधारण की जानकारी हेतु चस्पान करवाना सुनिश्चित करें।
8. समस्त ग्राम पंचायत विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से तीन-2 अतिरिक्त प्रतियों सहित पंचायत रिकॉर्ड एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पान हेतु।
9. गार्ड पत्रावली।



उपायुक्त
जिला कुल्लू हि0 प्र0।

अधिसूचना

यह कि पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत सचिव, (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या-पीसीएच-एचए(1)18/2008 III-23211-22 दिनांक 07-04-2026 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों की अनुपालना में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच कु0-निर्वाचन 2025-1748-1806 दिनांक 05.04.2026 को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 में दिए गए दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 08 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में अंकित प्रावधानों के अनुसार विकास खण्ड भुंतर की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण किया जाना है।

अतः मैं अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0) उपायुक्त, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 08 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु विकास खण्ड भुंतर की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण निम्न विवरणानुसार अधिसूचित करता हूँ : -

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	पंचायत का नाम	आरक्षण 2026
1	भुन्तर	मणिकरण	अनारक्षित
2		कसोल	अनारक्षित
3		पुन्थल	अनारक्षित
4		शाट	अनारक्षित
5		चौग	अनारक्षित
6		रतोचा	अनारक्षित
7		छेंवर	अनारक्षित
8		शिलीहार-2	अनारक्षित
9		दियार	अनारक्षित
10		ज्येष्ठा	अनारक्षित
11		भलाण-1	अनारक्षित
12		तलाडा	अनारक्षित
13		रैला	अनारक्षित

		रैला-2	अनारक्षित
14			
		मंशगा	अनारक्षित
15			
		भूर्डण	अनारक्षित
16			
		देवगढगोहही	अनारक्षित
17			
		दनोगी	अनारक्षित
18			
		तेगूबेहड	अनारक्षित
19			
		कोठीभलाण	अ0जा0 महिला
20			
		कलैहली	अ0जा0 महिला
21			
		जां	अ0जा0 महिला
22			
		रोट	अ0जा0 महिला
23			
		बडाभुईन	अ0जा0 महिला
24			
		तलपीणी	अ0जा0 महिला
25			
		पीणी	अ0जा0 महिला
26			
		जिया	अ0जा0 महिला
27			
		हाट	अ0जा0
28			
		हुरला	अ0जा0
29			
		भ्रैण	अ0जा0
30			
		नरैश	अ0जा0
31			
		जलूग्रां	अ0जा0
32			
		खोखन	अ0जा0
33			
		परगाणू	अ0जा0
34			
		दलासणी	महिला
35			
		बशौणा	महिला
36			
		न्यूल	महिला
37			
		शियाह	महिला
38			
		छलाल	महिला
39			
		मलाणा	महिला
40			
		मंझली	महिला
41			
		बराधा	महिला
42			
		गडसा	महिला
43			
		शिलीहार	महिला
44			
		जरी	महिला
45			
		पारली	महिला
46			



		भलाण-2	महिला
47		शुरड	महिला
48		सचाणी	महिला
49		शमशी	महिला
50		बजौरा	महिला
51		बरशैणी	महिला
52			

Chanda

अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0)
उपायुक्त, जिला कुल्लू हि0 प्र0।

दिनांक 07/04/26

पृष्ठांकन संख्या- यथोपरी 1900-60
प्रतिलिपि:-

1. निदेशक पंचायती राज विभाग हि0 प्र0 शिमला-9 को उनके कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0 प्र0 शिमला को सूचनार्थ।
3. उप-मण्डलाधिकारी (ना0) कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला -5 को राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशन हेतु।
5. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कुल्लू को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार हेतु।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भुंतर, जिला कुल्लू को उक्त सूचना की तीन अतिरिक्त प्रतियां इस निर्देश सहित प्रेषित है कि इनमें से एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय तथा एक प्रति कार्यालय सूचना पट्ट पर जन साधारण की जानकारी हेतु चस्पान करवाना सुनिश्चित करें।
8. समस्त ग्राम पंचायत विकास खण्ड भुंतर, जिला कुल्लू को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से तीन-2 अतिरिक्त प्रतियां सहित पंचायत रिकॉर्ड एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पान हेतु।
9. गार्ड पत्रावली।

Chanda

उपायुक्त
जिला कुल्लू हि0 प्र0।

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश
संख्या :- पीसीएच कु0 -निर्वाचन 2025- 1961-2010 दिनांक- 07/04/26 .
अधिसूचना

यह कि पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या-पीसीएच-एचए(1)18/2008 III-23211-22 दिनांक 07-04-2026 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों की अनुपालना में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच कु0-निर्वाचन 2025-1512-70 दिनांक 05.04.2026 को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 में दिए गए दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 08 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में अंकित प्रावधानों के अनुसार विकास खण्ड कुल्लू की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण किया जाना है।

अतः मैं अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0) उपायुक्त, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 08 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु विकास खण्ड कुल्लू की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण निम्न विवरणानुसार अधिसूचित करता हूँ :-

क0	विकास खण्ड का नाम	पंचायत का नाम	आरक्षण 2026
1	कुल्लू	जरड भुटटी कलौनी	अनारक्षित
2		मौहल	अनारक्षित
3		खडीहार	अनारक्षित
4		पाहनाला	अनारक्षित
5		भुमतीर	अनारक्षित
6		माशना	अनारक्षित
7		डुखरीगाहर	अनारक्षित
8		मझाट	अनारक्षित
9		डुगीलग	अनारक्षित
10		बन्द्रोल	अनारक्षित
11		नेउली	अनारक्षित
12		ग्राहण	अनारक्षित
13		तलोगी	अनारक्षित



14	बनोगी	अनारक्षित
15	भुलंग	अ0जा0 महिला
16	शिलीराजगिरी	अ0जा0 महिला
17	शिलानाल	अ0जा0 महिला
18	मानगढ	अ0जा0 महिला
19	चतानी	अ0जा0 महिला
20	वाशिंग	अ0जा0
21	चौकी डोभी	अ0जा0
22	बल्ह-2	अ0जा0
23	पुईद	अ0जा0
24	बन्दल	अ0जा0
25	चन्सारी	महिला
26	सेऊगी	महिला
27	कोठीसारी	महिला
28	फलाण	महिला
29	भल्याणी	महिला
30	ब्राहमण	महिला
31	पीज	महिला
32	बाराहार	महिला
33	जिन्दौड	महिला
34	बल्ह	महिला
35	तिउन	महिला
36	बुआई	महिला
37	चौपाडसा	महिला
38	नलहाच	महिला
39	बस्तोरी	महिला

Abanda

अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0)
उपायुक्त, जिला कुल्लू हि0 प्र0।

पृष्ठांकन संख्या- यथोपरी 1961-2010
प्रतिलिपि:-

दिनांक 07/04/26

1. निदेशक पंचायती राज विभाग हि0 प्र0 शिमला-9 को उनके कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0 प्र0 शिमला को सूचनार्थ।
3. उप-मण्डलाधिकारी (ना0) कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला -5 को राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशन हेतू।
5. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कुल्लू को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार हेतू।

7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू को उक्त सूचना की तीन अतिरिक्त प्रतियां इस निर्देश सहित प्रेषित है कि इनमें से एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय तथा एक प्रति कार्यालय सूचना पट्ट पर जन साधारण की जानकारी हेतु चस्पान करवाना सुनिश्चित करें।
8. समस्त ग्राम पंचायत विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से तीन-2 अतिरिक्त प्रतियों सहित पंचायत रिकॉर्ड एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पान हेतु।
9. गार्ड पत्रावली।


उपायुक्त

जिला कुल्लू हि0 प्र0।

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश

संख्या :- पीसीएच कु0 -निर्वाचन 2025- 2111-160 दिनांक- 07/04/26 .

अधिसूचना

यह कि पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या-पीसीएच-एचए(1)18/2008 III-23211-22 दिनांक 07-04-2026 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों की अनुपालना में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच कु0-निर्वाचन 2025-1807-65 दिनांक 05.04.2026 को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 में दिए गए दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 08 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में अंकित प्रावधानों के अनुसार विकास खण्ड नगर की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण किया जाना है।

अतः मैं अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0) उपायुक्त, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 08 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु विकास खण्ड नगर की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण निम्न विवरणानुसार अधिसूचित करता हूँ :-

क्र0	विकास खण्ड का नाम	पंचायत का नाम	आरक्षण 2026
1	नगर	लरांकैलों	अनारक्षित
2		ढुआड़ा	अनारक्षित
3		कटराई	अनारक्षित
4		वेगढ़	अनारक्षित
5		ब्राण	अनारक्षित
6		मनाली	अनारक्षित
7		शिरढ़	अनारक्षित
8		बड़ाग्रां	अनारक्षित
9		नथान	अनारक्षित
10		हुंरंग	अनारक्षित
11		जाणा	अनारक्षित
12		शलीन	अनारक्षित
13		काईस	अनारक्षित

14	चचोगा	अनारक्षित
15	वशिष्ठ	अनारक्षित
16	बैन्ची	अ0जा0 महिला
17	राउगी	अ0जा0 महिला
18	गाहर	अ0जा0 महिला
19	कराडसू	अ0जा0 महिला
20	नगर	अ0जा0 महिला
21	सोयल	अ0जा0
22	हलाण 2	अ0जा0
23	अरछणडी	अ0जा0
24	कनयाल	अ0जा0
25	पनगां	अ0ज0जा0महिला
26	गोज़रा	अ0ज0जा0महिला
27	रायसन	अ0ज0जा0
28	करजां	अ0ज0जा0
29	सोयल-2	महिला
30	रियाड़ा	महिला
31	रूमसू	महिला
32	पिछलीहार	महिला
33	सरसेई	महिला
34	सलिंगचा	महिला
35	हलाण- 1	महिला
36	नसोगी	महिला
37	बुरुआ	महिला
38	जगतसुख	महिला
39	शिला हलाण	महिला
40	शनाग	महिला
41	प्रीणी	महिला
42	पलचान	महिला
43	मण्डलगढ़	महिला

Chandy

अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0)
उपायुक्त, जिला कुल्लू हि0 प्र0।

दिनांक 07/04/26

पृष्ठांकन संख्या- यथोपरी 2111-160
प्रतिलिपि:-

1. निदेशक पंचायती राज विभाग हि0 प्र0 शिमला-9 को उनके कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0 प्र0 शिमला को सूचनार्थ।

3. उप-मण्डलाधिकारी (ना0) नगर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला -5 को राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशन हेतू।
5. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कुल्लू को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार हेतू।

7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगर, जिला कुल्लू को उक्त सूचना की तीन अतिरिक्त प्रतियां इस निर्देश सहित प्रेषित है कि इनमें से एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय तथा एक प्रति कार्यालय सूचना पट्ट पर जन साधारण की जानकारी हेतू चस्पान करवाना सुनिश्चित करें।
8. समस्त ग्राम पंचायत विकास खण्ड नगर, जिला कुल्लू को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से तीन-2 अतिरिक्त प्रतियों सहित पंचायत रिकॉर्ड एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पान हेतू।
9. गार्ड पत्रावली।



उपायुक्त
जिला कुल्लू हि0 प्र0।

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश
संख्या :- पीसीएच कु0-निर्वाचन 2025- 2261-2310 दिनांक 07/04/26

अधिसूचना

यह कि पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या-पीसीएच-एचए(1)18/2008 III-23211-22 दिनांक 07-04-2026 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों की अनुपालना में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच कु0-निर्वाचन 2025-1689-1747 दिनांक 05.04.2026 को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 में दिए गए दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 08 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में अंकित प्रावधानों के अनुसार विकास खण्ड निरमण्ड की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण किया जाना है।

अतः मैं अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0) उपायुक्त, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 08 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु विकास खण्ड निरमण्ड की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण निम्न विवरणानुसार अधिसूचित करता हूँ :-

क0	विकास खण्ड का नाम	पंचायत का नाम	आरक्षण 2026
1	निरमण्ड	कशोली	महिला
2		देहरा	महिला
3		तवार	महिला
4		डीम	महिला
5		दुराह	महिला
6		तुनन	महिला
7		शिशवी	महिला
8		बाहवा	महिला
9		सरघा	महिला
10		बड़ीधार	अनारक्षित
11		जुआगी	अनारक्षित
12		अरसु	अनारक्षित



13	पोशना	अनारक्षित
14	कोट	अनारक्षित
15	चायल	अनारक्षित
16	बाड़ी	अनारक्षित
17	गमोग	अनारक्षित
18	ब्रौ	अनारक्षित
19	कुण्डाकोड	अ0जा0 महिला
20	बखन	अ0जा0 महिला
21	घाटू	अ0जा0 महिला
22	भालसी	अ0जा0 महिला
23	नोर	अ0जा0 महिला
24	राहनू	अ0जा0 महिला
25	खरगा	अ0जा0 महिला
26	कुशवा	अ0जा0 महिला
27	निथर	अ0जा0
28	शिल्ली	अ0जा0
29	गडेज	अ0जा0
30	निशानी	अ0जा0
31	जगातखाना	अ0जा0
32	कोटी	अ0जा0
33	बागा सराहन	अ0जा0
34	लोट	अ0जा0

Abadi

अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0)
उपायुक्त, जिला कुल्लू हि0 प्र0।

दिनांक 04/04/26.

पृष्ठंकन संख्या- यथोपरी 2261-2310
प्रतिलिपि:-

1. निदेशक पंचायती राज विभाग हि0 प्र0 शिमला-9 को उनके कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0 प्र0 शिमला को सूचनार्थ।
3. उप-मण्डलाधिकारी (ना0) निरमण्ड, जिला कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला -5 को राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशन हेतू।
5. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू हि0प्र0 को सूचनार्थ।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कुल्लू को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार हेतू।

7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू को उक्त सूचना की तीन अतिरिक्त प्रतियां इस निर्देश सहित प्रेषित है कि इनमें से एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय तथा एक प्रति कार्यालय सूचना पट्ट पर जन साधारण की जानकारी हेतु चस्पान करवाना सुनिश्चित करें।
8. समस्त ग्राम पंचायत विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से तीन-2 अतिरिक्त प्रतियों सहित पंचायत रिकॉर्ड एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पान हेतू।
9. गार्ड पत्रावली।


उपायुक्त

जिला कुल्लू हि0 प्र0।

अधिसूचना

यह कि पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत सचिव, (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या-पीसीएच-एचए(1)18/2008 III-23211-22 दिनांक 07-04-2026 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों की अनुपालना में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच कु0-निर्वाचन 2025-665-911 दिनांक 05.04.2026 को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 में दिए गए दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में अंकित प्रावधानों के अनुसार **जिला परिषद कुल्लू के सदस्य पदों** का आरक्षण किया जाना है।

अतः मैं अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0) उपायुक्त, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु **जिला परिषद कुल्लू के सदस्य पदों का आरक्षण** निम्न विवरणानुसार अधिसूचित करता हूँ :-

क्र0	जिला परिषद का नाम	जिला परिषद वार्ड का नाम	आरक्षण 2026
1	कुल्लू	2-लरांकैलों	अनारक्षित
2		3-बरशैणी	अनारक्षित
3		5-धाउगी	अनारक्षित
4		13-डुगीलग	अनारक्षित
5		1-वशिष्ठ	अनारक्षित
6		7-ब्रौ	अ0जा0 महिला
7		6-चायल	अ0जा0 महिला
8		8-बखनाओ	अ0जा0
9		11-जरड़भुठी कोलोनी	अ0जा0
10		12-मौहल	महिला
11		10-बालागाड	महिला



12		9-लझरी	महिला
13		14-कटराई	महिला
14		4-ज्येष्ठा	महिला

Chande

अनुराग चन्द्र शर्मा (भा0प्र0से0)
उपायुक्त जिला कुल्लू हि0 प्र0।

पृष्ठांकन संख्या- यथोपरी 2866-3126
प्रतिलिपि:-

दिनांक 07/04/26

1. निदेशक पंचायती राज विभाग हि0 प्र0 शिमला-9 को उनके कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)4/2025-25005-28 दिनांक 06 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0 प्र0 शिमला को सूचनार्थ।
3. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला -5 को राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशन हेतू।
5. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कुल्लू को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार हेतू।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जिला कुल्लू को उक्त सूचना की तीन अतिरिक्त प्रतियां इस निर्देश सहित प्रेषित है कि इनमें से एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय तथा एक प्रति कार्यालय सूचना पट्ट पर जन साधारण की जानकारी हेतू चस्पान करवाना सुनिश्चित करें।
8. समस्त ग्राम पंचायत, जिला कुल्लू को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से तीन-2 अतिरिक्त प्रतियों सहित पंचायत रिकॉर्ड एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पान हेतू।
9. गार्ड पत्रावली।

Chande

उपायुक्त
जिला कुल्लू हि0 प्र0।